The Hindu Plus Summary : 13.02.2024

मेन्स मास्टर

टी.एन. राज्यपाल रवि ने पारंपरिक अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया

राज्यपाल का अभूतपूर्व कदम: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. 2024 में विधान सभा के पारंपरिक उद्घाटन भाषण को पढ़ने से रवि के इनकार ने भौंहें चढ़ा दीं, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व विकास का प्रतीक है।

इनकार का आधार: राज्यपाल रवि ने सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण की सामग्री के बारे में चिंताओं को इंगित करके अपने निर्णय को उचित ठहराया। उन्होंने विशेष रूप से भ्रामक दावों और तथ्यों वाले कई अंशों पर प्रकाश डाला, और कहा कि उन्हें पढ़ने से राज्यपाल के अभिभाषण की संवैधानिक अखंडता से समझौता होगा।

विधानसभा की तत्काल प्रतिक्रिया: राज्यपाल के इनकार के जवाब में, अध्यक्ष एम. अप्पावु ने कार्यभार संभाला और पूरा तैयार अभिभाषण तमिल में पढ़ा। विधानसभा ने जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन द्वारा प्रस्तावित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव को तेजी से पारित किया, जिसमें कहा गया कि भाषण का केवल आधिकारिक तौर पर प्रदान किया गया पाठ ही रिकॉर्ड किया जाएगा।

पिछली घटना की गूँज: यह प्रस्ताव पिछले वर्ष विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को प्रतिबिंबित करता है जब राज्यपाल ने अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था और अचानक टिप्पणियाँ की थीं। वर्तमान प्रस्ताव केवल अधिकृत पाठ को रिकॉर्ड करने की असेंबली की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

हटाई गई टिप्पणियाँ और स्पष्टीकरण: प्रस्ताव से पहले, अध्यक्ष अप्पावु ने राज्यपाल के संक्षिप्त भाषण पर टिप्पणियाँ कीं। हालाँकि, एक बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की और उनकी दोनों टिप्पणियों को आधिकारिक तौर पर "निष्कासित" घोषित कर दिया गया था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड से उनके बहिष्कार को दर्शाता है।

राजभवन का प्रतिवाद: राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दोष स्पीकर अप्पावु पर मढ़ दिया। इसमें उन पर विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ तीखा हमला बोलने का आरोप लगाया गया और सुझाव दिया गया कि उन्हें इसके बजाय राष्ट्रगान बजाकर प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था।

अंतर्निहित राजनीतिक तनाव: तात्कालिक घटना से परे, राज्यपाल आर.एन. के बीच चल रही अनबन। रवि और राज्य सरकार सामने आने वाली घटनाओं में एक गहरा राजनीतिक आयाम जोड़ते हैं, जिससे लगातार असहमति और तनाव की पृष्ठभूमि बनती है।

असली मज़ाक

* ताज़ा विवाद: राज्यपाल आर.एन. रवि का तमिलनाडु में डीएमके द्वारा तैयार संबोधन देने से इनकार। इस हालिया घटना में राज्यपाल आर.एन. तमिलनाडु में द्रमुक द्वारा संचालित सरकार द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक संबोधन से दूर रहने का रवि का निर्णय। इस इनकार ने संसदीय लोकतंत्रों में राज्यपालों की उचित भूमिका पर बहस छेड़ दी है।

शामिल संवैधानिक मुद्दे:

* राज्यपालों पर बहस: आलोचकों का तर्क है कि राज्य की नीतियों से पूरी तरह असहमत राज्यपाल को पद छोड़ देना चाहिए। इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि क्या राज्य सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करने वाले राज्यपालों को पद पर बने रहना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की असहमति राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को निष्पक्ष रूप से पूरा करने की क्षमता से समझौता करती है।
* राज्यपाल की भूमिका: संवैधानिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने पर बल दिया गया, निर्वाचित सरकारों में बाधा डालने पर नहीं। राज्यपाल की भूमिका के सार पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि उसे संवैधानिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उन्हें कायम रखना चाहिए। तर्क यह है कि राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के कामकाज में बाधा बन रहे हैं।

संस्थानों की गरिमा का ह्रास:

* राजनीतिकरण की चिंता: रवि के इनकार जैसे उदाहरण इस अवसर पर विवादों को छाया देने में योगदान करते हैं। राज्यपाल के पारंपरिक संबोधन का राजनीतिकरण, जिसका उदाहरण रवि के इनकार जैसे उदाहरण हैं, इस अवसर की गंभीरता को कम करने वाले विवादों की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
* संस्थागत गरिमा पर सवाल उठाना: प्रथागत संबोधनों के बढ़ते राजनीतिकरण के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है। यहां व्यापक मुद्दा रवि के इनकार जैसी घटनाओं का संस्थानों की गरिमा पर पड़ने वाले प्रभाव का है। चिंता है कि पारंपरिक संबोधनों का बढ़ता राजनीतिकरण इन औपचारिक कार्यवाहियों से जुड़े सम्मान और मर्यादा को नष्ट कर सकता है।

संसदीय लोकतंत्र के मानदंडों को तोड़ना:

*परंपरा से हटना: संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार का संबोधन बिना किसी हस्तक्षेप के दिया जाना चाहिए। संसदीय लोकतंत्रों में एक बुनियादी मानदंड यह परंपरा है कि निर्वाचित सरकारी भाषण राज्यपालों द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के दिए जाते हैं। रवि के इनकार को इस स्थापित प्रथा से विचलन के रूप में देखा जाता है।
* रवि का इनकार: एक विचलन के रूप में देखा गया, जो संभावित रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर कर रहा है। राज्यपाल रवि के इनकार को संसदीय लोकतंत्रों में तटस्थ भूमिका निभाने वाले राज्यपालों के आदर्श से विचलन के रूप में देखा जाता है। इससे लोकतांत्रिक मानदंडों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं।

गंभीर अनुमान:

* राज्यपालों की भूमिका: सत्ताधारी दलों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति विरोधियों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों में बाधा डालने की चिंता पैदा करती है। राज्यपालों द्वारा केंद्र में सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन करने की देखी गई प्रवृत्ति की आलोचनात्मक जांच की जा रही है। इस संरेखण को राजनीतिक विरोधियों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के सुचारू कामकाज में संभावित बाधा के रूप में देखा जाता है।
* लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा: पद पर बने रहने के दौरान राज्यपाल की असहमति को लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखा जाता है। व्यापक चिंता यह है कि पद पर बने रहने के दौरान नीतियों के प्रति गहरी असहमति व्यक्त करने वाला राज्यपाल लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए संभावित खतरा पैदा करता है। यह एक गतिशीलता का परिचय देता है जो संवैधानिक कार्यालयों से अपेक्षित तटस्थता और निष्पक्षता को चुनौती देता है।

लैंगिक समानता के अंतर को पाटने के लिए एक वैश्विक गठबंधन

भारत की विकास यात्रा: अपनी विकास रणनीति में समानता और समावेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देना, जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा जैसी पहलों के माध्यम से देखा जाता है, जो सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, डिजिटल विभाजन को पाटने और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देता है। विशेषकर महिलाओं के लिए समावेशिता पर ध्यान दें।

पृष्ठभूमि:

महिला आरक्षण विधेयक: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, यह विधेयक महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना और बेहतर शासन प्रक्रियाओं में योगदान देना है।

लिंग बजट आवंटन: लगभग $27 बिलियन का 2023-24 का बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शामिल मुद्दे:

सीमित डेटा: महिला श्रम बल भागीदारी और शिक्षा में सराहनीय प्रगति प्रदर्शित की गई है, लेकिन भारत में लिंग वेतन अंतर पर डेटा की अनुपस्थिति इस मुद्दे और इसके विशिष्ट कारणों को समझने में एक अंतर छोड़ देती है।

संभावित अंतर्निहित कारक: हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, भारत में लिंग वेतन अंतर के संभावित कारणों में व्यावसायिक अलगाव, अवसरों तक सीमित पहुंच और वेतन भेदभाव शामिल हो सकते हैं।

सुधारात्मक उपाय किये गये:

नीति और विधायी पहल: महिला आरक्षण विधेयक और बढ़े हुए लिंग बजट आवंटन जैसे कदम संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण हैं।

शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम: महिला शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल महिलाओं को कार्यबल में बेहतर योग्यता और सौदेबाजी की शक्ति के साथ सशक्त बनाती है।

स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, आर्थिक प्रगति में योगदान देता है और लिंग अंतर को कम करता है।

आगे क्या करने की आवश्यकता है:

वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन: इसका उद्देश्य विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से स्केलेबल समाधान साझा करना और विकसित करना है, जो शिक्षा-तकनीक, चिकित्सा क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप, कौशल विकास, एग्रोटेक, महिला उद्यम विकास और पूंजी तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

वैश्विक सहयोग: दुनिया भर में उद्योग, थिंक टैंक और निवेशकों को एक साथ लाने से ज्ञान साझा करने, संसाधन जुटाने और वैश्विक लैंगिक समानता की दिशा में समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है।

अवसर:

व्यवसायों के लिए: लैंगिक विविधता के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, महिला सशक्तिकरण के लिए सिद्ध कार्यक्रमों में निवेश करने और समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने में अवसर निहित हैं।

वैश्विक समुदाय के लिए: गठबंधन डिजिटल प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग अंतर को संबोधित करने के लिए मिलकर काम करने, सीखने, विकास और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भारत का नेतृत्व एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। डेटा अंतर को संबोधित करना, लिंग वेतन अंतर के मूल कारणों से निपटना और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से प्रभावी समाधान लागू करना हमें वास्तव में न्यायसंगत और समावेशी दुनिया को प्राप्त करने के करीब ले जा सकता है।

मुनाफाखोरी विरोधी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जीएसटी शासन के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर भारत संघ, जीएसटी परिषद और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ये प्रावधान मनमाने और अस्पष्ट हैं और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने सरकार से इन नोटिसों पर जवाब मांगा है.

यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि यह संभावित रूप से जीएसटी शासन के तहत व्यवसायों पर कर लगाने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। इस मामले के नतीजे पर व्यवसायों और कर विशेषज्ञों की समान रूप से नजर रहेगी।

मुनाफाखोरी विरोधी गतिविधि:

* यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी दरों में कोई कमी हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मूल्य में कटौती के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को दिया जाए।

* कर कटौती के बावजूद कीमतों को समायोजित करने में विफलता "मुनाफाखोरी" है।

सीजीएसटी अधिनियम के तहत मुनाफाखोरी विरोधी तंत्र:

* मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच और निर्णय के लिए त्रिस्तरीय संरचना।

*राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

* सुरक्षा महानिदेशालय

* राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समितियाँ और स्थायी समितियाँ।

इलाहाबाद, बंबई उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक मामले लंबित हैं

प्रसंग:
• भारत की बढ़ती जनसंख्या और विकसित होते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य ने कानूनी प्रणाली पर दबाव बढ़ा दिया है।
• वास्तव में न्यायसंगत और समावेशी समाज की आकांक्षा के लिए एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली न्यायपालिका की आवश्यकता है जो समय पर और निष्पक्ष न्याय प्रदान करे।
• हालाँकि, भारतीय न्यायिक प्रणाली वर्तमान में एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है: लंबित मामलों का एक बड़ा बैकलॉग।
संकट:
• भारी केस बैकलॉग: भारतीय अदालतों में चौंका देने वाले 4.47 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनकी संख्या 2018 के बाद से लगातार बढ़ रही है। इससे न्याय प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण बोझ पैदा होता है, जिससे वादकारियों को लंबी देरी और निराशा होती है।

* भौगोलिक असमानता: इलाहाबाद, बॉम्बे और राजस्थान जैसे बड़ी आबादी और क्षेत्रों वाले राज्यों में अदालतों को उच्चतम लंबित दर का सामना करना पड़ता है, जो जनसंख्या आकार और मुकदमेबाजी की मात्रा के बीच संबंध का सुझाव देता है।

* अपर्याप्त न्यायपालिका: न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या (लगभग 25,600) बड़े पैमाने पर मुकदमों को संभालने के लिए अपर्याप्त है, जो देरी और बैकलॉग में योगदान दे रही है। इससे मामलों में न्यायाधीशों का अनुपात असमान हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति पर काम का बोझ बढ़ जाता है।

* स्थिर प्रगति: मामले अक्सर विभिन्न चरणों में वर्षों तक अटके रहते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा 5-20 वर्षों तक लंबित रहता है। यह धीमी गति और समय पर समाधान की कमी को इंगित करता है, जिससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास और कम हो रहा है।

* प्रवेश बाधा: बड़ी संख्या में मामले प्रवेश स्तर पर बने हुए हैं, जो कुशल सेवन और फ़िल्टरिंग प्रक्रियाओं के साथ समस्याओं का सुझाव देते हैं, संभावित रूप से समग्र बैकलॉग में वृद्धि करते हैं।

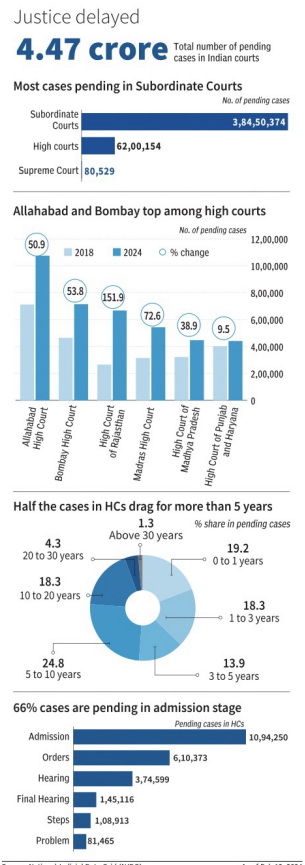

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

कारण:

* जनसंख्या दबाव: जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे मुकदमेबाजी की संभावना भी बढ़ती है, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अदालतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह बढ़ती आबादी के अनुरूप न्यायिक प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

* वादी के रूप में सरकार: कानूनी विवादों में सरकार की लगातार भागीदारी मुकदमेबाजी में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे इसकी कानूनी रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की खोज के बारे में सवाल उठते हैं। यह मुकदमेबाजी के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है।

* अस्पष्ट आपराधिक कानून: अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट आपराधिक अपराधों के कारण अनावश्यक गिरफ्तारियां होती हैं और अदालत में भागीदारी होती है, जिससे सिस्टम पर बोझ बढ़ता है। इससे स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित करने और अनावश्यक मामलों को कम करने के लिए आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता होती है।

* अकुशल जांच: त्रुटिपूर्ण जांच प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कमजोर मामले अदालत में आ सकते हैं, संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ सकता है और वास्तविक मामलों में देरी हो सकती है। यह मजबूत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जांच प्रथाओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है।

संभव समाधान:

* न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएँ: कार्यभार के असंतुलन को दूर करने और मामले के त्वरित समाधान के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए न्यायिक रिक्तियों और नियुक्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

* सरकारी मुकदमेबाजी को अनुकूलित करें: अदालती मामलों में सरकार की लगातार भागीदारी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की खोज करना न्यायिक प्रणाली पर इसके बोझ को कम कर सकता है। इसके लिए कानूनी प्रणाली और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

* आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: अस्पष्ट आपराधिक कानूनों को संशोधित करना और मजबूत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जांच प्रथाओं में सुधार करना अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम कर सकता है और वास्तविक मामलों के लिए संसाधनों को मुक्त कर सकता है। इसके लिए कानून निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

* प्रौद्योगिकी को अपनाएं: सुनवाई और प्रस्तुतियाँ के लिए आभासी अदालतों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करने से पहुंच, सामर्थ्य में सुधार हो सकता है और संभावित रूप से मामले के प्रसंस्करण में तेजी आ सकती है। इसके लिए प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रासंगिक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

* प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें: अदालती प्रक्रियाओं, प्रवेश प्रक्रियाओं और केस प्रबंधन प्रणालियों का विश्लेषण और अनुकूलन संभावित रूप से देरी को कम कर सकता है और दक्षता में सुधार कर सकता है। इसमें प्रभावी सुधारों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए न्यायपालिका के भीतर सहयोग शामिल है।

किसानों का विरोध 2.0

किसान विरोध 2024: विस्तारित ब्रेकडाउन

प्रसंग:

• तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के सफल विरोध के दो साल बाद, भारतीय किसान एक बार फिर नए नेतृत्व में लामबंद हो रहे हैं।

• कृषक समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली 250 से अधिक यूनियनें सरकार से अधूरे वादों का दावा करते हुए बेहतर समर्थन और सुधार की मांग कर रही हैं।

पृष्ठभूमि:

• 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के कारण विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि बाजारों को उदार बनाना था। हालाँकि, व्यापक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी जैसी प्रमुख माँगें अभी भी अनसुलझी हैं।

• वर्तमान विरोध का नेतृत्व दो नए समूह कर रहे हैं:

  ◦ किसान मजदूर मोर्चा (KMM), पंजाब स्थित किसान मजदूर संघर्ष समिति (KMSC) के संयोजक सरवन सिंह पंढेर द्वारा गठित।

  ◦ संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक), जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व वाले मूल संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से अलग हुआ गुट।

• मूल एसकेएम, जिसमें 500 से अधिक किसान संघ शामिल हैं, सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का समर्थन करता है और वर्तमान विरोध के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों की आलोचना करता है।

किसानों की प्रमुख मांगें:

• एमएसपी गारंटी:

  ◦ एम.एस. द्वारा अनुशंसित C2 + 50% फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाएं। स्वामीनाथन आयोग.

  ◦ यह फॉर्मूला किसानों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन लागत (सी2) प्लस 50% लाभ मार्जिन पर विचार करता है।

*कर्ज माफ़ी:

  ◦ वित्तीय बोझ से जूझ रहे सभी किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण राहत प्रदान करें।

  ◦ इसका उद्देश्य भारतीय किसानों के सामने गरीबी और संकट की ओर ले जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान करना है।

* भूमि अधिग्रहण सुधार:

  ◦ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करना, भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति की आवश्यकता और कलेक्टर दर से चार गुना उचित मुआवजा सुनिश्चित करना।

  ◦ इसका उद्देश्य किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और पर्याप्त मुआवजे के बिना जबरन विस्थापन को रोकना है।

* डब्ल्यूटीओ वापसी:

  ◦ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर निकलें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर रोक लगाएं, यह तर्क देते हुए कि इसने भारतीय कृषि को अनुचित प्रतिस्पर्धा में उजागर करके नुकसान पहुंचाया है।

  ◦ यह मांग घरेलू बाजारों और किसानों की आजीविका पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में चिंताओं को दर्शाती है।

*अन्य मांगें:

  ◦ किसानों और खेतिहर मजदूरों को उनके बाद के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन।

  ◦ 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी के अवसर शामिल हैं।

  ◦ किसानों के हितों को संभावित नुकसान की आशंका से विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।

  ◦ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रति वर्ष 200 दिनों के रोजगार के साथ रुपये की दैनिक मजदूरी तक विस्तारित करना। 700, और बेहतर आय के अवसरों के लिए इसे कृषि गतिविधियों से जोड़ना।

  ◦ गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को शोषण से बचाने के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड।

  ◦ इस महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना।

  ◦ जल, जंगल और ज़मीन जैसे संसाधनों पर स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी पारंपरिक और टिकाऊ प्रथाओं को पहचानना।

एमएस। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें:

* इस आयोग का नेतृत्व प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने 2006 में भारत में कृषि विकास के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

* प्रमुख सिफारिशों में एमएसपी गारंटी, इनपुट लागत में कमी, बाजार बुनियादी ढांचे का विकास, आय समर्थन उपाय और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

* जबकि कुछ पहलुओं को आंशिक रूप से लागू किया गया है, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण सुधार कई किसानों की मांग बनी हुई है।

कृषि विपणन की चुनौतियाँ:

* भारतीय किसानों को विपणन प्रणाली में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कम आय और भेद्यता होती है:

  ◦ अस्थिर कीमतों वाले अनिश्चित बाज़ार और खंडित व्यक्तिगत बिक्री के कारण सीमित सौदेबाजी की शक्ति।

  ◦ अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, परिवहन बुनियादी ढांचा और प्रसंस्करण इकाइयां, जिससे फसल के बाद नुकसान होता है और मूल्य प्राप्ति कम हो जाती है।

  ◦ सूचना, प्रौद्योगिकी और बाजार संबंधों तक सीमित पहुंच, सूचित निर्णय लेने और निष्पक्ष बाजार भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है।

सरकारी पहल:

*वर्तमान सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ पहल की हैं:

  ◦ धान और गेहूं जैसी कुछ प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाना।

  ◦ कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार के लिए ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म लॉन्च करना।

  ◦ सामूहिक सौदेबाजी और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना।

  ◦ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और सिंचाई योजनाओं में निवेश।

* हालाँकि, इन पहलों ने व्यापक आय सुरक्षा ढांचे, व्यापक बाजार सुधार और कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक मुद्दों से निपटने के संबंध में किसानों की मुख्य चिंताओं को संबोधित नहीं किया है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

प्रीलिम्स बूस्टर

मर्चेंट शिपिंग एक्ट पर काम चल रहा है

- 🟫उद्देश्य: अद्यतन अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों को शामिल करने और भारतीय ध्वज के तहत जहाज पंजीकरण की सुविधा के लिए मौजूदा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 को संशोधित करें।
- 🌐 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को शामिल करना: नए प्रावधानों का उद्देश्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौतों के साथ तालमेल बिठाना और व्यापारी शिपिंग प्रथाओं में वैश्विक मानकों के पालन को बढ़ाना है।
- 🚢 जहाज पंजीकरण की सुविधा: पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए एनआरआई, ओसीआई, कॉर्पोरेट संस्थाओं और एलएलपी के लिए जहाजों के आसान पंजीकरण की अनुमति दें।
- 📄 इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और मान्यता: दक्षता बढ़ाने, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और ई-दस्तावेजों की पहचान सक्षम करें।
- 🌬️ वायु प्रदूषण और असुरक्षित जहाजों को संबोधित करना: समुद्र में चलने वाले जहाजों से वायु प्रदूषण को परिभाषित करें और संबोधित करें और "असुरक्षित जहाजों" के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
- ⚖️ त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र: विवादों को सुलझाने के लिए एक त्रि-स्तरीय तंत्र स्थापित करें, जो जहाज-मालिकों और बचावकर्ताओं के साथ-साथ नाविकों और जहाज मालिकों, मालिकों या एजेंटों के बीच असहमति पर ध्यान केंद्रित करे।
- 🚑 जहाज सुरक्षा के लिए वैधानिक उपाय: समुद्री घटनाओं और आकस्मिक प्रतिक्रिया के लिए कड़े नियम पेश करें, जहाज सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उचित वैधानिक उपायों के साथ जहाज-मालिक का विश्वास बढ़ाएं।
- 🌊 प्रदूषण की रोकथाम: प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त नियम लागू करें, पर्यावरण संरक्षण और उल्लंघन के कानूनी परिणामों पर जोर दें।
- 💻 डिजिटल प्रौद्योगिकी और व्यापार करने में आसानी: बेहतर स्वामित्व मानदंड और कुशल प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
- 📝 चल रहे विचार-विमर्श: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय विचार-विमर्श प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन वर्तमान में व्यापक अपडेट के लिए चर्चा में हैं।
- 📅 संशोधन प्रयासों का इतिहास: 2016 में पिछले प्रयास असफल रहे थे, लेकिन संशोधन प्रक्रिया फरवरी-मार्च 2021 में फिर से शुरू हुई, जुलाई 2022 और जुलाई 2023 के बीच विधायी विभाग द्वारा समीक्षा किए गए मसौदे को सहमति मिली।

भारत, बांग्लादेश ने सुंदरबन में बाघ संरक्षण के लिए हाथ मिलाया

- 🐅 भारत और बांग्लादेश सुंदरबन में बाघ संरक्षण के लिए सेना में शामिल हो गए हैं, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण और बाघों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पारस्परिक संरक्षण प्रयासों के उद्देश्य से एक सीमा पार पहल को दर्शाता है।
- 🌍 इस पहल में कुलतली ब्लॉक के मध्य पूर्व गुरुगुरिया आदर्श विद्यापीठ स्कूल के बारह छात्रों (टाइगर स्काउट्स) की सक्रिय भागीदारी शामिल है, साथ ही उनके शिक्षक, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) की प्राथमिक प्रतिक्रिया टीम (पीआरटी) के सदस्य और "बांग्लादेश के समकक्षों के सहयोग से, कुलतली, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थानीय समुदाय से बाघ बंध" (बाघ के मित्र)।
- 🤝 इस जन-केंद्रित जुड़ाव में आजीविका हस्तक्षेप और टिकाऊ प्रथाओं पर ज्ञान का आदान-प्रदान शामिल है, जिसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना और बाघों के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है, जो IUCN और जर्मनी के KW विकास बैंक द्वारा समर्थित एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम द्वारा समर्थित है।
- 🇮🇳 भारतीय सुंदरबन के दूरदराज के इलाकों के छात्र बांग्लादेश की अपनी यात्रा से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, बाघ संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता संरक्षण के बारे में सीखते हैं, जिससे उन्हें बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को समझने का एक अनूठा अवसर मिलता है।
- 🌿 सफल साझा अनुभवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए आजीविका हस्तक्षेप शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 के बाद से भारतीय सुंदरबन में कोई बाघ या मानव हताहत नहीं हुआ है, जो संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता और टिकाऊ प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- 📅 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित इस परियोजना का लक्ष्य अक्टूबर 2024 में समाप्त होने के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत जारी रखना है, जिसमें दोनों देशों के बीच संरक्षण और सहयोग के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

पृथ्वी-व्यापी दूरबीन ने पुष्टि की कि ब्लैक होल की छाया 'वास्तविक' है

- 🌌 वैज्ञानिकों ने 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक विशाल ब्लैक होल के नए विवरण का अनावरण किया है, जिसकी शुरुआत में 2017 में पृथ्वी-व्यापी इवेंट होरिजन टेलीस्कोप (ईएचटी) द्वारा ली गई तस्वीर ब्लैक होल के अस्तित्व का पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करती है और इसकी पुष्टि करती है। सामान्य सापेक्षता की मौलिक भविष्यवाणी. इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने खगोल भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, जो इन ब्रह्मांडीय संस्थाओं की रहस्यमय और विस्मयकारी प्रकृति की एक झलक पेश करता है।
- 📸 18 जनवरी को प्रकाशित एक नए पेपर में, ईएचटी वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के घटना क्षितिज के स्तर पर विवरण कैप्चर करने की सूचना दी, जो इसके चारों ओर एक अलग रिंग के गठन को दर्शाता है। यह उपलब्धि ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में एक उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो घटना क्षितिज के पास जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना भी शामिल है, जो ब्लैक होल के आसपास की वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को विकृत करती है।
- 📡 ईएचटी, रेडियो दूरबीनों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क, ने अपनी डेटा-रिकॉर्डिंग दर, स्थानिक ट्रैकिंग क्षमता में सुधार किया, और ग्रीनलैंड टेलीस्कोप को सरणी में जोड़ा, रिज़ॉल्यूशन को बढ़ाया और ब्लैक होल की 'छाया' और उसके बाद के विवरणों को पकड़ने में सक्षम बनाया। घटना क्षितिज के स्तर पर. इस तकनीकी प्रगति ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने और अध्ययन करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी है, जिससे ब्लैक होल के व्यवहार और विशेषताओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है।
- 🔄 नए अभियान में अप्रैल 2018 में छह अवलोकन दिनों में चार आवृत्तियों में डेटा एकत्र करने वाले नौ स्टेशन शामिल थे, जिसके बाद सिग्नल-टू-शोर अनुपात को बढ़ाने के लिए डेटासेट का सहसंबंध किया गया। इस सावधानीपूर्वक और व्यापक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के समापन चरण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रकट करने और ब्लैक होल के विन्यास या संरचना में बदलाव को ट्रैक करने की अनुमति दी, जिससे इसकी जटिल प्रकृति और व्यवहार की गहरी समझ प्रदान की गई।
- 🔍 निष्कर्षों ने लगभग 42 माइक्रोआर्कसेकंड चौड़ी एक असममित रिंग संरचना की उपस्थिति की पुष्टि की, जो सूर्य के लगभग 6.5 अरब गुना द्रव्यमान वाले एक घूमते हुए ब्लैक होल के चारों ओर लेंस उत्सर्जन द्वारा बनाई गई छाया की भविष्यवाणियों के अनुरूप है। ये रहस्योद्घाटन छुपे हुए भौतिकी में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो अभिवृद्धि डिस्क, जेट और ब्लैक होल के चारों ओर चुंबकीय वातावरण के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जो ब्रह्मांड में काम करने वाली मूलभूत शक्तियों की हमारी समझ में योगदान करते हैं।
- 📽️ ईएचटी सहयोग के लिए भविष्य की योजनाओं में एक या दो महीने में ब्लैक होल को ट्रैक करने के लिए 2026 में एक 'मूवी प्रोजेक्ट' शामिल है, जो ब्लैक होल के साथ चमक में बदलाव का अवलोकन करने और इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास ब्लैक होल के और भी अधिक रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखता है, जो इन रहस्यमय ब्रह्मांडीय संस्थाओं का एक मनोरम और गतिशील दृश्य पेश करता है।

घटना क्षितिज

- 🕳️ घटना क्षितिज एक सैद्धांतिक सीमा है जो एक ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को चित्रित करती है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके गुरुत्वाकर्षण पकड़ से बच नहीं सकता है, जो ब्लैक होल और उनके रहस्यमय के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। गुण।
- 🌌 सामान्य सापेक्षता के ढांचे में, यह घटना ब्लैक होल के भीतर पदार्थ की भारी सांद्रता के कारण स्पेसटाइम की अत्यधिक वक्रता के कारण उत्पन्न होती है, जिससे एक सीमा का निर्माण होता है जो ब्लैक होल के आंतरिक कामकाज को बाहरी से अलग करता है। ब्रह्मांड।
- ⚫ जब कोई वस्तु या प्रकाश घटना क्षितिज से परे गुजरता है, तो यह अपरिवर्तनीय गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो जाता है जो इसे ब्लैक होल की केंद्रीय विलक्षणता की ओर खींचता है, अनंत घनत्व का एक बिंदु जहां भौतिकी के सामान्य नियम टूट जाते हैं, जिससे एक क्षेत्र बनता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव.
- 🌅 एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए, घटना क्षितिज के अंदर होने वाली घटनाएं छिपी हो जाती हैं, क्योंकि भीतर से उत्सर्जित कोई भी जानकारी या संकेत बाहरी पर्यवेक्षक तक पहुंचने के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर सकता है, जो स्पेसटाइम में घटना क्षितिज की पृथक प्रकृति पर जोर देता है।
- 🌌 यह विशेषता अंतरिक्ष-समय में एक विशिष्ट सीमा बनाती है, जो ब्रह्मांड के इन क्षेत्रों में अंतरिक्ष-समय के ढांचे पर गुरुत्वाकर्षण के चरम प्रभावों की हमारी समझ को आकार देती है, और ब्रह्मांड में काम करने वाली मूलभूत शक्तियों की हमारी समझ में योगदान करती है।

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग

- 🌌 गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई एक घटना, तब होती है जब एक विशाल वस्तु, जैसे आकाशगंगा या ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वस्तु के पास से गुजरते समय प्रकाश के मार्ग को मोड़ देता है, जिससे एक विकृति पैदा होती है या लेंसिंग प्रभाव जो देखी जा रही पृष्ठभूमि वस्तु के स्पष्ट आकार, चमक और स्थिति को प्रभावित करता है।
- 🪶 यह प्रभाव विशाल वस्तुओं के कारण होता है, जिससे उनके चारों ओर स्पेसटाइम वक्र हो जाता है, जिससे प्रकाश पथ मुड़ जाते हैं क्योंकि दूर की वस्तु से प्रकाश एक विशाल अग्रभूमि वस्तु के पास घुमावदार स्पेसटाइम से होकर गुजरता है, जिससे इसके प्रक्षेपवक्र में परिवर्तन होता है और इसके परिणामस्वरूप अवलोकनीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रकाश पथों का झुकना, आवर्धन और आकृतियों का विरूपण।
- 🌅 गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग खगोलविदों के लिए दूर की आकाशगंगाओं, डार्क मैटर वितरण का अध्ययन करने और यहां तक कि एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन गया है, जो ब्रह्मांड का पता लगाने और सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, मजबूत और कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अग्रभूमि की वस्तुओं में द्रव्यमान का वितरण और दूर की खगोलीय घटनाओं के विस्तृत अध्ययन को सक्षम बनाना।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org